न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः–गोविन्दसिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 109/18 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. भंवर लाल पिता छोगा कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. सोहनलाल पिता सुखा कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. प्रकाश पिता बन्ना कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. शंकर लाल पिता केशा कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4 उंकार लाल पिता केशा कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. देवीलाल पिता केशा कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. तेजमल पिता गेहरीलाल कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7 जीवराज पिता छगनलाल कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन – अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 28.02.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कलालखेड़ी पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 212 में अंकित आराजी स. 1629 रकबा 0.42 हैक्ट. 1630 रकबा 0.24 हैक्ट. कुल किता 2 कुल रकबा 0.66 हैक्ट. भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। प्रमाण में नकल मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं। प्रार्थना पत्र मे की कलम सेंख्या 1 में अकित प्रार्थी की कृषि आराजियात के चारों तरफ सीमा के कोई मुस्तकिल निशानात नहीं होने से प्रार्थी की कृषि आराजियात में वपक्षी गण आये दिन दखलअंदाजी करते रहते है जिससे प्रार्थीगण को अपने आराजियात में फसल काश्त कर, फसल लाभ लेने मवेशी चराने व घास काटने में काफि कटिनाईयो का सामना करना पडता है जिससे प्रार्थी की कृषि आराजियात की पत्थरगढ़ी कराया जाना आवश्यक हो गया है । प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई बार पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहां लेकिन विपक्षी हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे। प्रार्थी ने दिनांक 30.11.2018 को विपक्षीगण को अंतिम बार कहा लेकिन विपक्षी इंकार हो गये जिससे प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ा है। प्रार्थी को विपक्षरीगण के विरूद्व बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 30.11.2018 से उत्पन्न होकर जारी है। अयह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 26.12.2018 को पंजीबद्ध किया विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षीगण जुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम कलालखेड़ी पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 212 में अंकित आराजी स. 1629 रकबा 0.42 हैक्ट. 1630 रकबा 0.24 हैक्ट. कुल किता 2 कुल रकबा 0.66 हैक्ट. भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थी सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 300/– अक्षरे तीन सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 28.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा